30

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
(शिक्षा विभाग, मा.सं.वि.मं, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन)
ए-24/25, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-62, नोएडा-201309, उ.प्र.

National Institute of Open Schooling
(An autonomous organization under the Deptt. of Edun. MHRD, Govt. of India)
A-24-25, Institutional Area, Sector 62, NOIDA-201309, UP

फ-26.3(i)/2014/एनआईओएस/पीए 18 दिनांक: 02.05.2014

कार्यालय आदेश

ऐसा देखा गया है कि क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा शिक्षार्थियों के प्रवेश रिकॉर्ड में संशोधन के बहुत सारे मामले मुख्यालय को अग्रेषित किए जाते हैं। ऐसा करते हुए, यह पाया गया है कि क्षेत्रीय निदेशक आवेदन फॉर्म के विवरण और शिक्षार्थी द्वारा आवेदन फॉर्म के साथ योग्यता के प्रमाण के रूप में संलग्न रिकॉर्ड पर विचार नहीं कर रहे हैं।

हाल ही में, यह संज्ञान लिया गया है कि आवेदन फॉर्मों में प्रदान किए गए मूल विवरण आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुरूप थे । अब, शिक्षार्थी उनके द्वारा आवेदन फॉर्म के साथ जमा किए गए विवरणों/दस्तावेजों के अतिरिक्त भिन्न विवरण/दस्तावेज़ संलग्न कर अनुरोध कर रहे हैं कि उनके मूल विवरण में संशोधन कर दिया जाए।

एनआईओएस को संशोधन करते हुए बहुत सख्ती बरतने की आवश्यकता है । क्षेत्रीय केन्द्रों से सभी संबन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि शिक्षार्थियों के रिकॉर्ड में संशोधन के मामले में ध्यान रखें और अपनी संस्तुतियाँ आवेदन और आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न दस्तावेजों को आधार पर ही भेजें।

यदि ऐसा पाया गया कि संबन्धित अधिकारीगण इन निर्देशों की पालना नहीं कर रहे हैं तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

इसका सख्ती से पालन करें।

2/5/14

(डॉ. संयम भारद्वाज)
निदेशक (वि.स.से.)

सूचना एवं आवशयक कार्रवाई हेतु प्रति:

1. अध्यक्ष महोदय की सूचना हेतु स.नि (अध्यक्ष कार्यालय)।
2. सभी विभागाध्यक्ष
3. सभी क्षेत्रीय निदेशक
4. एसएपी, वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
5. संयुक्त निदेशक (वि.स.से), वि.स.से विभाग में निर्देशों के पालन के लिए।
6. सहायक निदेशक -II (वि.स.से)
7. सहायक निदेशक -III (वि.स.से)
8. अनुभाग अधिकारी (प्रवेश) (वि.स.से)